संख्या: ६०५८/दो-४-०५-४५(१२)/६१ टी.सी.

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-४ लखनऊ: दिनॉक २७ जनवरी, २००६

विषय:- प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुति एवं उस क्रम में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या- १०२२/१९८९ आल इण्डिया जजेज एसोशिएशन एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में दिनॉक २१ मार्च, २००२ एवं दिनॉक ०६.१२.२००५ को पारित आदेश के संदर्भ में उ०प्र० राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को भत्ते/सुविधाएं प्रदान किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुति तथा उस क्रम में मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या- १०२२/१९८९ आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनॉक-२१ मार्च, २००२ एवं दिनॉक ०६-१२-२००५ को पारित आदेशों के संदर्भ में निम्नानुसार भत्ते/सुविधाएं अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की गयी है :-

१. वाहन सुविधा/वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता

(१) प्रत्येक जिला जज, जिला जज स्तर के लघुवाद न्यायाधीश, वरिष्ठ अतिरिक्त जिला जज तथा मुख्य न्यायिक/महानगरीय मजिस्ट्रेट, को एक स्वतन्त्र वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

(२) उपरोक्त के अतिरिक्त पूल्ड कार की सुविधा के अन्तर्गत ४ न्यायिक अधिकारियों के मध्य १ पूल कार उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके लिए महानगरीय शहरों में १५० लीटर एवं अन्य स्थानों पर १२५ लीटर पेट्रोल मासिक की सीमा तक अनुमन्य होगा।

(३) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी वाहन है, उन्हें निम्नानुसार पेट्रोल/डीजल देय होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति व्यय प्रमाणक के आधार पर की जायेगी :-

शहर/स्थान की श्रेणी	अनुमन्य पेट्रोल/डीजल की अधिकतम मात्रा (लीटर में)
ए और ए-१ श्रेणी के शहर	७५
जिला मुख्यालय	५०

नोटः- जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी वाहन है तथा वे उपरोक्तानुसार पेट्रोल/डीजल का मूल्य प्राप्त करने के का विकल्प चुनते है, उन्हें पूल कार की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। पूल कारों की आवश्यकता का आगणन तद्नुसार ही किया जायगा।

(४) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी स्कूटर/मोटर साईकिल है उन्हें प्रतिमाह २५ लीटर पेट्रोल देया होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति व्यय-प्रमाणक के आधार पर की जायेगी।

२. अतिथि सत्कार भत्ता

न्यायिक अधिकारियों को निम्न दर से अतिथि सत्कार भत्ता अनुमन्य होगा :-

क०सं०	न्यायिक अधिकारियों की श्रेणी	मासिक भत्ता (रूपये में)
१.	जिला जज/अपर जिला जज	१०००
२.	सिविल जज (सीनियर डिवीजन)	७५०
३.	सिविल जज (जूनियर डिवीजन)	५००

३. पोशाक भत्ता

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को ५ वर्ष की अवधि में एक बार रू० ५००० की एक मुश्त राशि पोशाक भत्ता के रूप में देय होगी। इस प्रयोजनार्थ प्रथम पॉच वर्ष की अवधि ३१ मार्च, २००२ से प्रभावी मानी जायेगी।

४. समाचार पत्र/पत्रिका

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को एक राष्ट्रीय तथा एक क्षेत्रीय समाचार पत्र व एक पत्रिका का मूल ५० रू० प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा) की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति मूल वाउचर के आधार पर की जायेगी।

५. दूरभाष सुविधा

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के आवास एवं कार्यालय में शासकीय व्यय पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध रहेगी। कार्यालय में सभी टेलीफोन एस०टी०डी० युक्त होंगे, परन्तु आवास पर टेलीफोन के साथ एस०टी०डी० की सुविधा केवल उच्च न्यायिक सेवा अधिकारियों एवं मुख्य न्यायिक महानगरीय मजिस्ट्रेट को ही अनुमन्य होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न सीमाओं के अनुसार निःशुल्क काल की सुविधा भी अनुमन्य होगी :-

क्रमांक	अधिकारियों की श्रेणी	२ माह के लिए निःशुल्क काल की सीमा	
		कार्यालय	आवास
१.	जिला जज/सत्र न्यायाधीश	३०००	२०००
२.	अतिरिक्त जिला जज/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	२०००	१०००
३.	सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं चीफ जुडीशियल/महानगरीय मजिस्ट्रेट	२०००	१०००
४.	सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मजिस्ट्रेट	१५००	७५०

Request 83

६. आवास पर विद्युत एवं जल शुल्क की प्रतिपूर्ति

न्यायिक अधिकारियों के आवास पर उनके द्वारा विद्युत एवं जल के उपयोग के सम्बन्ध में किये गये भुगतान के ५० प्रतिशत के बराबर परन्तु अधिकतम रू. ५०० प्रतिमाह की संयुक्त सीमा तक प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। यह प्रतिपूर्ति भुगतान किये गये बिलों को मूलरूप में प्रस्तुत करने पर देय होगी।

७. आवास/मकान किराया भत्ता

समस्त न्यायिक अधिकारी अपनी पात्रता के आधार पर निःशुल्क सरकारी आवास आवंटित करवाने के हकदार होंगे। सरकार द्वारा आवास उपलब्ध न करवाये जाने की स्थिति में शासन के संगत आदेश के अनुसार सम्बन्धित न्यायिक अधिकारियों को मकान किराया भत्ता देय होगा।

८. अतिरिक्त प्रभार भत्ता

न्यायिक अधिकारियों को किसी दूसरे न्यायिक अधिकारी का प्रभार यदि १० कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिए दिया जाता है तथा न्यायिक अधिकारी इस अवधि में अतिरिक्त पद के न्यायिक कार्य का निष्पादन करते हैं तो उसे अतिरिक्त प्रभार के पद के वेतनमान के न्यूनतम के १० प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त प्रभार भत्ता अनुमन्य होगा।

९. अवकाश नगदीकरण

न्यायिक अधिकारियों को २ वर्ष में एक माह तक का अवकाश नगदीकरण लेने की सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसी सुविधा लेते समय अवकाश लेने के लिए अधिकारी को बाध्य नहीं जायेगा। इस प्रयोजनार्थ प्रथम ०२ वर्ष की अवधि २१ मार्च, २००२ से प्रारम्भ मानी जायेगी।

१०. अवकाश यात्रा सुविधा

न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक ४ वर्ष की अवधि में एक बार अवकाश यात्रा सुविधा उपलब्ध रहेगी। अवकाश यात्रा का प्रथम बार उपभोग करने के लिए ५ वर्ष की निरन्तर सेवा आवश्यक होगी तथा सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व से इस सुविधा का उपभोग नहीं किया जा सकेगा। न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक २ वर्ष की अवधि में अपने गृह जनपद के लिए अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी। अवकाश यात्रा सुविधा के लिए प्रथम ०४ वर्ष की अवधि २१ मार्च, २००२ से प्रारम्भ मानी जायेगी। उपरोक्त अवकाश यात्रा सुविधा हेतु रेल/वायुयान की श्रेणी से सम्बन्धित पात्रता की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

११. एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान

न्यायिक अधिकारियों को स्थानान्तरित होने पर २० कि०मी० से अधिक दूरी पर स्थानान्तरण की दशा में एक माह के मूल वेतन के बराबर तथा २० कि०मी० से कम की दूरी पर स्थानान्तरण, जिसमें निवास स्थान वास्तव में परिवर्तित हो, की दशा में एक माह के मूल वेतन के एक तिहायी के बराबर धनराशि एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान के रूप में अनुमन्य होगा।

१२. चिकित्सा प्रतिपूर्ति/चिकित्सा भत्ता

न्यायिक अधिकारियों एवं उनके परिवार-जन को सरकारी अस्पतालों/औषधालयों, प्रदेश शासन द्वारा चिकित्सा-उपचार हेतु मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अस्पतालों/औषधालयों एवं अन्य चिकित्सालयों में चिकित्सा पर

Request 83

किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदेश शासन के तद्विषयक संगत नियमों/आदेशों के अधीन अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को रूपये १०० प्रतिमाह का चिकित्सा भत्ता भी अनुमन्य होगा।

२- उपर्युक्त आदेश दिनांक २१ मार्च, २००२ से प्रभावी माने जायेंगे परन्तु शासनादेश निर्गत होने से पूर्व की किसी अवधि के लिए इन भत्तों/सुविधाओं का उपयोग करने के लिए यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी की स्वीकृति, व्यय-प्रमाणक प्रस्तुत करने इत्यादि जैसी निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जायगी तथा पूर्व में शासन के आदेश के अन्तर्गत इन भत्तों/सुविधाओं के अन्तर्गत किये गये भुगतान का समायोजन किया जायेगा।

३- उपरोक्त भत्तों/सुविधाओं के सम्बन्ध में शासन द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेश तद्नुसार अतिक्रमित समझे जायेगें।

४- उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-जी-१-४२/दस-०६ दिनांक-जनवरी २०,२००६ में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह०/-
(दीपक त्रिवेदी)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या-६०५८(१)/बी-४-०५, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. मा० राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव
२. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ०प्र०।
३. निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
४. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।
५. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
६. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग १/२ (तीन प्रतियों में)
७. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
८. संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
९. इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ।
१०. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) १ एवं २ तथा आडिट १ एवं २, उ०प्र० इलाहाबाद।
११. समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
१२. श्री प्रवीण स्वरूप, एडवोकेट-आन-रिकार्ड, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली।
१३. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०/-
(यतीन्द्र मोहन)
अनुसचिव

DISTRICT JUDGE
MUZAFFARNAGAR

संख्या-480/दो-4-07-45(12)/91 टीसी.

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 28 मार्च, 2007

विषय:- उत्तर प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित 21 मार्च, 2002, दिनांक-06.12.2005 दिनांक 07.02.2006 एवं दिनांक 10.01.2007 के आदेशों के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-6058/दो-4-05-45(12)/91 टीसी, दिनांक 27 जनवरी, 2006 एवं शासनादेश संख्या-6016/दो-4-06-45(12)/91 टीसी, दिनांक 28 अगस्त, 2006 से स्वीकृत क्रमशः सेवारत न्यायिक अधिकारियों को अतिथि सत्कार भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति/चिकित्सा भत्ता की सुविधा एवं सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को चिकित्सा सुविधा की प्रभावी तिथि में संशोधन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित 21 मार्च, 2002 एवं दिनांक-06.12.2005 के आदेशों के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-6058/दो-4-05-45(12)/91टीसी, दिनांक 27 जनवरी, 2006 के अंतर्गत अतिथि सत्कार भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति/चिकित्सा भत्ता की सुविधायें दिनांक-21.3.2002 से अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा शासनादेश संख्या-6016/दो-4-06-45(12)/91 टीसी, दिनांक 28 अगस्त, 2006 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को चिकित्सा सुविधा की स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त सुविधायें दिनांक 21.03.2002 से प्रभावी की गयी थी।

2- आल इण्डिया जजेज़ एसोसियेशन एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2007 को पारित निर्णय में सेवारत न्यायिक अधिकारियों को उपरोक्तानुसार अनुमन्य अतिथि सत्कार भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति/चिकित्सा भत्ता की सुविधा एवं सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को स्वीकृत चिकित्सा प्रतिपूर्ति/चिकित्सा भत्ते की सुविधा को दिनांक 01.11.1999 से अनुमन्य किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। इसके अनुपालन में उल्लिखित शासनादेशों में स्वीकृत अतिथि सत्कार भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति/चिकित्सा भत्ता दिनांक 21.03.2002 के स्थान पर दिनांक 01.11.1999 से प्रभावी माने जायेंगे।

3- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 27 जनवरी, 2006 एवं दिनांक 28 अगस्त, 2006 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

4- उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-जी-1-213/दस-07, दिनांक-28 मार्च, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमेश सिन्हा)
सचिव

-----2/

Copy to
Account clerk

(2)

पृष्ठांकन संख्या-480(1)/दो-4-07-45(12)/91 टी.सी. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव,
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ0 प्र0।
3. निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5. निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0 प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3 इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7. सूचना निदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ।
8. समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ0 प्र0।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/3, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. अपर निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
13. इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन-पर्ची) प्रकोष्ठ।
14. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय तथा आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
15. समस्त जनपद न्यायाधीश/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16. श्री प्रदीप मिश्रा, एडवोकेट-आन-रिकार्ड, 138 न्यू लायर्स चैम्बर, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली।
17. श्री रियासत हुसैन, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उच्चतम न्यायालय, (विधि कोष्ठक), 21 राउज एवेन्यू, उर्दू घर मार्ग, नई दिल्ली।
18. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मोहन सिंह चौहान)
विशेष सचिव

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर
सं० 1692 /जि०ए० दिनांक 21/4/2007
मा० जिला जज/कोषाधिकारी
मुजफ्फरनगर
कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृते जिला मजिस्ट्रेट
मुजफ्फरनगर।

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 15:52:18 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad